राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

क्रमांकः अराज/भर्तीप्र0/लैब.स./सीधीभर्ती–2018/2026/275 दिनांक : 14.3.2026

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एसबीसि. रिट पिटीशन संख्या 11720/2022 श्याम लाल बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2024 एवं डी.बी.स्पे. अपील रिट संख्या 1185/2025 राज्य व अन्य बनाम श्याम लाल में पारित आदेश दिनांक 17.04.2025 की पालना में प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती 2018 के अन्तर्गत याचिकाकर्ता श्री श्याम लाल का प्रयोगशाला सहायक के पद पर चयन किया जाकर नियुक्ति/पदस्थापन अस्थाई तौर पर वित्त विभाग के नियमानुसार पे–मेट्रिक्स L-5 में नियत पारिश्रमिक 14600/– पर 2 वर्ष के परिवीक्षा काल में निम्नानुसार किया जाता है–

Sr. No.	FORM ID	NAME	FATHER'S NAME	DOB	Gender	Marital Status	Applied Category	Select against	70 प्रतिशत वैटेज से औसत प्राप्तांक - प्रतिशत	Bonus marks as per verified experience	FINAL MARKS %	Posting Place
1.	2214136	Shyam Lal	Kishan Lal	04.03.1984	MALE	Unmarried	SC-PH	SC-PH	32.20	10	42.20	SDH LOONKARANSAR, BIKANER

माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.04.2024 "As a consequence, the petitioner shall be entitled to all the notional benefits including seniority with effect from the same date as his counter-parts were allowed to join pursuant to the same selection process. However, he shall not be entitled to any monetary benefits on the principle of 'no work no pay". के कम में याचिकाकर्ता को नोशनल लाभ देय होगें।

उक्त नियुक्ति आदेश प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में डी.बी.स्पे. अपील संख्या 1185/2024 में पारित निर्णय दिनांक 17.04.2025 के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एसएलपी में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगें।

उक्त नियुक्ति माननीय न्यायालय मे विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों में पारित निर्णयों, राज्य सरकार की नीतियों व नियमों एवं विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण उपरान्त जारी की जाने वाली संशोधित मेरिट सूची के अध्याधीन पूर्ण रूप से अस्थाई होगी। साथ ही यह नियुक्ति विभिन्न अनुभव प्रमाणपत्रों व शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के भी अध्याधीन होगी।

उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी के मेरिट क्रमांक एवं वरिष्ठता का निर्धारण यथा समय सम्पूर्ण सूची जारी करने के उपरान्त किया जायेगा।

उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को नियमानुसार नियुक्ति की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि में 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। परीवीक्षा काल में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राज्य सरकार के नियमानुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त ही पद की नियमित पे मैट्रिक्स के लेवल 5 का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

दिनांक 1.6.2002 अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इस आशय का शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा।

श्री श्याम लाल को कार्यग्रहण करते समय संबंधित नियंत्रक अधिकारी के सम्मुख **स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विधवा/परित्यक्ता प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, इत्यादि अन्य प्रमाण पत्रों** की छायाप्रति जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है, के मूल दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत करने होगे।

स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होगा एवं पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होने पर ही मान्य होगा।

RajKaj Ref No.:
21046141
eSign DSC

उक्त नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्याधीन है।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन किया जाना अनिवार्य किया गया है। यदि अभ्यर्थी द्वारा विवाह पंजीयन नहीं करवाया गया है तो इस नियुक्ति के पात्र नही माना जावेगा। परिपत्र दिनांक 22.05.2006 के जारी होने से पूर्व विवाहित होने की स्थिति में अभ्यर्थी को इस आशय का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अभ्यर्थी सर्वप्रथम अपनी उपस्थिति संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रस्तुत करेगें।

श्री श्याम लाल को **दिनांक 30.03.2026** तक संबंधित अधिकारी के अधीन कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः अराज/भर्तीप्र0/लैब.स./सीधीभर्ती–2018/2026/275
दिनांक : 14.3.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज. जयपुर।
4. अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
5. निदेशक, (जन स्वा./प.क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
6. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक।
7. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अभ्यर्थी से संबंधित दस्तावेज आदि का सत्यापन/परीक्षण कर ही अभ्यर्थी को आवंटित पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।
9. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय, लूनकरणसर, बीकानेर।
10. डॉ. ध्रुव कुमार, स्थाई केस प्रभारी अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार संबंधित राजकीय अधिवक्ता, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से सम्पर्क कर प्रकरण में दायर अवमानना याचिका संख्या 1246/2024 को खारिज कराने की कार्यवाही करावें।
11. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करें।
12. चयनित अभ्यर्थी श्री श्याम लाल को निर्देशित किया जाता हैं कि वह सर्वप्रथम अपने मूल दस्तावेजों के साथ अपनी उपस्थिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर को प्रस्तुत करें।
13. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :13-03-2026 06:51:32

RajKaj Ref No.: 21046141
eSign DSC